संख्याः 116 /XXXVIII/07-12-वि0प्रौ0/2006

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून : दिनांकः 14 जुलाई, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः OUCS&T/24/Secl./2006-07/1278, दिनांक 19.04.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में सलग्न-विवरणानुसार रूपये 1,30,50,000-/ (रूपये एक करोड तीस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशो का उल्लंघन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसे व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध मे समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- मासिक आधार पर व्यय विवरण एवं उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

4- उक्त धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध मे समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

Annexure-5

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-706 /वि0अनु0–5/2007, दिनांक 10 जुलाई, 2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:116 (1)/XXXVIII/07–12–वि0प्रौ0/2006 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड,, देहरादून।
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी ।
3– जिलाधिकारी।
4– वित्त अनुभाग–5
5– बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
6– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्याः 116 (1)/XXXVIII/07–12–वि0प्रौ0/2006, दिनांक 16 जुलाई, 2007 का संलग्नक :–

आयोजनागत अनुदान संख्या–23 धनराशि लाख रूपये में

मुख्य लेखाशीर्ष 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
60–अन्य व्यय
004–अनुसंधान तथा विकास
07–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता

क0सं0	मद का नाम	आंवटित धनराशि (धनराशि लाख रूपये में)
1.	शोध एवं विकास	55
2.	उद्यमिता विकास	40.5
3.	विज्ञान लोकव्यापिकरण	35
	योग :	130.5
	शब्दों में :	(एक करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र)

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

Rajesh-5